246

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–38/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक 5 /09/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–921/1932, दिनांक 16.08.2023।

––00––

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 158 में व्यपवर्तन हेतु आवेदित 37.978 हे. वन क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2006–2007 में रूपये 1,85,600/– की लागत से किये गये 25000 पौधों के वृक्षारोपण को प्रभावित दर्शाया गया है।

विषयांकित गैर वानिकी कार्य के कारण उक्त वृक्षारोपण की हानि की प्रतिपूर्ति कैसे होगी? इस बाबत् कोई भी टीप अथवा प्रस्ताव संदर्भित पत्र में नही दिया गया है। कृपया उक्त हानि की प्रतिपूर्ति के संबंध में उचित प्रस्ताव बनवाकर आवेदनकर्ता से इसकी पूर्ति हेतु वचन पत्र प्राप्त कर प्रेषित करें।

2/– कृपया उपरोक्त बिंदु पर वांछित जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

Rajput
4.9.23

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमशः 2

पृ.क्रमांक एफ 5–38 / 2023 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 05 / 09 / 2023

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 140 में कलेक्टर द्वारा FRA 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय की गई है उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र "other than linear Project" हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रदाय की गई है। उक्त विषयांकित प्रस्ताव लीनियर प्रोजेक्ट से संबंधित है। अतः यदि विषयांकित प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त होती है तो उक्त प्रथम चरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय Linear Project हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रपत्र में FRA के अंतर्गत कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करें।

2.मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, धमतरी वनमंडल, धमतरी छत्तीसगढ़।

4.कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी, जिला धमतरी छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग